255/21 वयुक्तरथ फरीकेन उपस्थित अभिभाषक/अभिभाषिका ने अपना स्थगन किया हुआ है। पुनर्नियत जलसवा में दि० 27.7.21 को पेश हो।

27/7/21 प्रार्थना पत्र सुना। आवेदक व उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं। वाद-पत्र आवश्यक नहीं। कोई उपस्थित नहीं। अतः आवेदक व उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में आवेदन अस्वीकार व अस्थगन डिक्री में स्थापित की जाती है। प्रार्थना पत्र अनुमत होकर अस्थगन के कारण हो गया वाद पत्र मीनल लेखा अग्रसर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:47:39 IST
Reason: SelfAttested